

**पुलिस**

**अधीक्षक**

**जनपद**

**आजमगढ़**



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- [spazh-up@nic.in](mailto:spazh-up@nic.in)



पत्र संख्या- 315/2024

**प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़**

दिनांक- 09.10.2024

**हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 09.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

**01.थाना- कोतवाली:चोरी के सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार; 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।**

पूर्व की घटना/इतिहास-

अवगत कराना है कि वादी उत्तम कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रघुनाथ लाल निवासी ग्राम पूरा रामजी पोस्ट फरीदपुर थाना अहिरोला आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि वादी अपने परिवार के साथ पारितोष कुमार राय s/o माहतम राय के निर्मित मकान नईबस्ती रैदोपुर (डी0ए0वी0 कालेज के पीछे) सदर कोतवाली आजमगढ़ के मकान में किराये पर रहता है, प्रार्थी विद्युत विभाग में अस्थाई मीटर-रीडर के पद पर कार्य करता हैं व पत्नी खुशबू श्रीवास्तव राहुल चिल्ड्रेन एकेडमी में शिक्षिका का कार्य करती है विद्यालय जाते समय वादी की पत्नी का मोबाईल छुट गई थी जिसका नम्बर 9451XXXXX है प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी अपने कार्य से आज दिनांक 07.10.2024 को लगभग 04.00 शायं को घर पर आये तो घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था व आलमारी खुली हुई थी जाँच करने पर मेरा सोने का चैन, अंगुठी, कान की बाली, मोबाईल तथा नगद 5000/- गायब हो चुका था। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 562/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी/पुलिस अभिरक्षा का विवरण-**

दिनांक- 09.10.2024 को उ0नि0 हरिकेश कुमार राय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुमताज अहमद पुत्र स्व0 बिसमिल्ला अहमद निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष व दो नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## 02.थाना- कोतवाली: वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

अवगत कराना है कि दिनांक- 04.08.2024 को वादिनी मुकदमा सरीता सिंह पत्नी विशाल सिंह मोहल्ला कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 24.07.2024 को वादिनी की लड़की उम्र 15 वर्ष दिनांक 24-7-24 को समय करीब शाम 5 बजे घर से बिना बताए कही चली गयी है। काफी खोजबीन किया गया किंतु नहीं मिली पहले भी कई बार घर से जा चुकी है जिसे पुलिस सहयोग से लाया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर दिनांक 4.8.24 को मु0अ0सं0 439/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक- 09.10.2024 को उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. आकाश गौड़ पुत्र स्व0 राजेश गौड़ निवासी ग्राम भदसामानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ हाल पता चौहान भवन राहुल नगर मड्या थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष, 2. सोनी गौड़ पत्नी स्व0 राजेश गौड़ ग्राम भदसामानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ हाल पता चौहान भवन राहुल नगर मड्या ताना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष 3. रेशमा खान पत्नी हैदर अली निवासी मुंशी पुरा जुलहिनिया थाना कोतवाली जनपद मऊ हाल पता चौहान भवन राहुल नगर मड्या थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को समय 12.42 बजे थाना परिसर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## 03.थाना- अतरौलिया: साईबर फ्राड के 2000 रुपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.2024 को आवेदक गोविन्द कुमार पुत्र बिहारीलाल निवासी मदियापार थाना अतरौलिया आजमगढ़ के खाते से 2,000/- रुपये पेमेंट करते समय दूसरे के खाते में चला गया था। जिसकी शिकायत पर थाना स्थानीय पर साईबर शिकायत संख्या 33110240124307 पंजीकृत हुआ उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क टीम कम्प्यूटर ऑपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते से कटे कुल 2000/- रुपये वापस करा दिया गया।

➡ आवेदक 33110240124307 के प्रा0पत्र/ साईबर कम्प्लेन के जांच के क्रम में साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार द्वारा दिनांक 08.10.2024 को आवेदक के खाते में कुल 2000/- रुपये वापस कराया गया।



#### **04. थाना-कन्धरापुर: शादी का झांसा देकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

##### **पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-**

अवगत कराना है कि दिनांक- 03.10.2024 को वादिनी मुकदमा थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी विपक्षी इन्द्रेश निषाद पुत्र स्व0 अमिका निषाद द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक लड़की उम्र लगभग 16 वर्ष को दिनांक 02/10/24 समय करीब शाम 07 बजे बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 280/24 पंजीकृत किया गया।

##### **गिरफ्तारी का विवरण -**

आज दिनांक 08.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्रेश निषाद पुत्र स्व0 अम्बिका निषाद निवासी गयासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को सेहदा पुर्वाचल पुल के नीचे से समय 11.37 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।



## 05.थाना- जीयनपुर: चोरी गये पशु के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

### गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.10.2024 को आवेदक संदीप यादव पुत्र विशुन यादव निवासी ग्राम चंगईपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ आजमगढ़ मय हमराह 2. इन्द्रजीत यादव पुत्र स्व रामदेव यादव निवासी ग्राम चंगईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.सर्वेश यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी ग्राम चंगईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 4. दीना राजभर पुत्र शिवबचन राजभर निवासी ग्राम चंगईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना स्थानीय पर आकर एक प्रार्थना पत्र व तीन नफर अभियुक्त व 3 भैस जिसमें एक पडवा व एक पडिया व एक भैस बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी/आवेदक की भैस चुरा ले जाते समय अभियुक्तगण को पकड़ लेने व भैस को बरामद कर लेने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 465/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS बनाम 1.सलीम पुत्र सज्जात ग्राम बैरिडिह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष 2.अशरफ पुत्र मोहम्मद अली निवासी घडसरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष 3.वकील उर्फ रामवचन यादव पुत्र शाहबली निवासी चंगईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष के पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण को नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 विजय सिंह गौड़ द्वारा सम्पादित की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.सलीम पुत्र सज्जात उर्फ सज्जाद ग्राम बैरिडिह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष
- 2.अशरफ पुत्र मोहम्मद अली निवासी घडसरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष
- 3.वकील उर्फ रामवचन यादव पुत्र शाहबली निवासी चंगईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष

### बरामदगी का विवरण

- 1- 03 भैस जिसमें एक पडवा व एक पडिया व एक भैस

### पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0स0 465/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ अपराधिक इतिहास- अभियुक्त सलीम उपरोक्त
- 1.मु0अ0स0 24/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़



### प्रेस-विज्ञप्ति. जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 आरोपी अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़: गैर-इरादतन हत्या में 01 आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**

➡ दिनांक- 22.07.2018 को वादी मुकदमा सुशीला देवी पत्नी जगपत राम नि0 शांतीपुर पथपुरवा थाना बिलरियागंज द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त रामजतन पुत्र स्व0 जगपत राम नि0 शांतीपुर पथपुरवा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा घर में कहा-सुनी को लेकर पिता को लाठी-डण्डे से मारपीट की गयी, जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 118/2018 धारा 304,323,34,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 09 गवाह परिक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 09.10.2024 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ महोदय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त रामजतन पुत्र स्व0 जगपत राम नि0 शांतीपुर पथपुरवा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

